

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा-0744-2325871

**मूल वाद में फाइनल डिक्री**

(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री स्व० भंवरलाल आयु 46 साल जाति लश्करी निवासी म०नं० 1039 इन्द्रगांधी नगर हनुमान जी के मंदिर के पीछे खटीकों का मोहल्ला कोटा

2. विमला बाई पुत्री स्व० भंवरलाल आयु 44 साल जाति लश्करी निवासी म०नं० 1039 इन्द्रगांधी नगर हनुमान जी के मंदिर के पीछे खटीकों का मोहल्ला कोटा

3. कान्ता बाई पुत्री स्व० भंवरलाल आयु 42 साल जाति लश्करी निवासी म०नं० 721 विनोबा भावे नगर कोटा

4. संतोष बाई पुत्री स्व० भंवरलाल आयु 40 साल जाति लश्करी निवासी 60 पुरोहित जी की टापरी तह० लाडपुरा जिला कोटा

**बनाम** 1. भैरूलाल पुत्र छीतरलाल जाति लश्करी  
2. भूरी बाई पुत्री छीतरलाल जाति लश्करी निवासी बसन्त विहार कोटा

3. सत्यनारायण पुत्र गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी म०नं० 149 महावीर नगर II कोटा

4. परमानन्द बोहरा पुत्र बजरंगलाल जी बोहरा निवासी नया नोहरा तह० लाडपुरा कोटा

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

-प्रतिवादी

-वादीगण

**--: वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:--**

मुकद्मा नं. 108/2022 (दावा)

इस वाद में आज तारीख को वादीगण के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वाद के खर्चे लेखे ... X ... रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ... प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X .....को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 24 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा  
वाद

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा  
वाद